# PUBLIC NOTICE

**ATTENTION : ALL PRODUCERS/MANUFACTURERS/IMPORTER OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENTS(EEE)**

Whereas Ministry of Environment & Forests, Government of India, has notified E-Waste (Management and Handling) Rules,2011 on 12th may,'2011.

And whereas, these rules has come into effect from 1st May,'2012 and these rules shall apply shall apply to every producers involved in the manufacturers, sale, purchase and processing of electrical and electronic equipments or components as specified in schedule-I and collection center of E-waste.

**And whereas, the electrical and electronic equipments as per schedule-I of rules are i.e. centralized data processing, main frames, mini computers, personal computing, personal computers(central Processing units with input and output devices), laptop computers(central Processing units with input and output devices), notebook computers, notepad computers, printers including cartridges, copying equipments, electrical and electronic typewriters, user terminals and systems, facsimile, Telex, telephones, Pay telephones, cordless telephones, cellular telephones, answering systems, Television Sets(including sets based on (liquid Crystal Display and Light emitting Diode Technology, Refrigerators, Washing Machine, Air conditioners excluding air conditioning plants.**

And whereas, as per E-Waste (Management and Handling) Rules,2011 , every producers of electrical and electronic equipments and collection center E-Waste, has to obtained authorization under rule 9 of E-Waste (Management and Handling) Rules,2011.

And whereas, it has been observed that several producers of electronic and electrical equipments, did not apply for authorization under E-Waste (Management and Handling) Rules,2011.

**And whereas, all defaulting producers all directed to apply for authorization under E-Waste (Management and Handling) Rules,2011 within 30 days of the publication of this Notice and in case of failure legal action including prosecution shall be initiated.**

Further, the violation of E-Waste (Management and Handling) Rules,2011, is punishable as per provisions of section 15 of Environment(Protection) Act, 1986, which is as follows :

**"with imprisonment for a term which may be extendable for five years with fine which may extend to one lakh rupees, or with both, and in case of failure or contravention continues with additional fine which may extend to five thousand rupees for everyday which such failures or contravention continues for the first such failures or contravention"**

**Details are also available at our website http://dpcc.delhigovt.nic.in**

**Chairman**
**DPCC**

DIP/1980/14-15

# सार्वजनिक सूचना

**वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर के सभी उत्पादक / निर्माता / आयातक कृपया ध्यान दें।**

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने 12 मई 2011 को ई–अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2011 को अधिसूचित किया है।

और, ये नियम 1 मई, 2012 से प्रभावी है तथा अनुसूची–I में विनिर्दिष्ट वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर या संघटकों के विनिर्माण, बिक्री, क्रय और प्रसंस्करण में लगे प्रत्येक उत्पादक तथा ई–अपशिष्ट के संग्रह केंद्र पर लागू होंगे।

**और, नियमों की अनुसूचि–I के अनुसार वैद्युत और इलेक्ट्रानिक उपस्कर हैः केन्द्रीकृत डाटा प्रोसेसिंग, मेन फ्रेम्स, मिनी कम्प्यूटर, पर्सनल कम्प्यूटिंग, पर्सनल कम्प्यूटर (इनपुट और आउटपुट यंत्रों सहित सीपीयू), लेपटाप कम्प्यूटर (इनपुट और आउटपुट यंत्रों सहित सीपीयू), नोटबुक कम्प्यूटर, नोट पैड कम्प्यूटर, प्रिंटर्स जिसके अंतर्गत कार्टरिज भी है, प्रतिलिपि उपस्कर, वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, यूजर टर्मिनल और सिस्टम, फैसिमिली, टेलेक्स, टेलीफोन, पे टेलीफोन, कॉडलेस टेलीफोन, सेल्यूलर टेलीफोन, ऑन्सरिंग सिस्टग, टेलीविजन सैट (द्रव क्रिस्टल डिस्प्ले तथा लाइट एमिटिंग डायोड प्रौद्योगिकी पर आधारित सैट सहित), केन्द्रीकृत एयर कन्डीशनिंग संयंत्रो को छोड़कर एयर कंडीशनर, रेफ्रीजेरेटर, वाशिंग मशीन।**

और, ई–अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2011 के अनुसार वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के सभी उत्पादक एवं ई–अपशिष्ट के संग्रह केंद्र ई–अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2011 के अधीन प्राधिकार प्राप्त करेगा।

और, यह निरीक्षण किया गया है कि वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के कई उत्पादकों ने ई–अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2011 के अंतर्गत प्राधिकार के लिए आवेदन नहीं किया है।

**और, सभी दोषी उत्पादकों को यह निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों के भीतर ई–अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2011 के अंतर्गत प्राधिकार के लिए आवेदन करें और ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई सहित अभियोजन शुरु किया जायेगा।**

ई–अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2011 के उल्लंघन करने वाले को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 की धारा 15 के अंतर्गत दंड है जो कि निम्न है:

**"एक अवधि तक कारावास जो कि पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है जुर्माने के साथ जो एक लाख रुपये तक बढाया जा सकता है अथवा ये दोनों हो सकते है, तथा विफलता या अतिरिक्त जुर्माने के साथ उल्लंघन जारी रहने की स्थिति में पांच हजार रुपये तक प्रतिदिन बढ़ाया जा सकता है, ऐसी विफलता और उल्लंघन के मामले में पहली ऐसी विफलताओं या उल्लंघन के लिए जारी है।"**

**विवरण हमारी वेबसाइट http://dpcc.delhigovt.nic.in पर भी उपलब्ध है।**

**अध्यक्ष**

सू.प्र.नि./1980/14-15

**दि.प्र.नि.स.**